DISTRICT HEALTH SOCIETY, SHEIKHPURA
जिला स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा
डी0पी0एम0 कार्यालय, श्री कृष्ण जनाना अस्पताल कैम्पस, गिरहिण्डा चौक, शेखपुरा–811105

दूरभाष एवं फैक्स संख्या–06341–225031
E-mail : dhs.skhp@gmail.com
: dhs_skhp@rediffmail.com

18

मोतियाबिन्द ऑपरेशन हेतु इच्छुक नेत्र विशेषज्ञ चिकित्सकों या स्वंयसेवी संस्थाओं से अभिरूची आमंत्रण

(Expression of Interest from Interested Specialist Doctor (Optholmologist) and registered NGO/Trust for Cataract Operation in Sheikhpura District)

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना द्वारा प्रेषित वित्तीय दिशा निर्देश 2017–18 एवं डॉ अंजनी कुमार अपर निदेशक (अंधापन), स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना के पत्रांक 97 दिनांक 02.11.2017 के आलोक में मोतियाबिन्द ऑपरेशन का लक्ष्य का प्राप्ति हेतु मोतियाबिन्द ऑपरेशन करने हेतु इच्छुक विशेषज्ञ चिकित्सक एवं पंजीकृत स्वंयसेवी संस्था/ट्रस्ट से निम्न शर्तों के अधीन एवं निम्न आहर्त्ता रखने वालों से दिनांक 25.01.2018 तक संबंधित प्रमाण पत्रों के साथ अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

<u>आहर्त्ता एवं शर्तें :</u>

<u>नेत्र विशेषज्ञों की योग्यता एवं कार्यानुभव :</u>

1. जिले में उपलब्ध वैसे नेत्र विशेषज्ञ जिन्हें एम0डी0/एम0एस0 (नेत्र)/डी0ओ0 की योग्यता प्राप्त हो, साथ हीं उन्हें नेत्र विज्ञान के क्षेत्र में दो वर्षों का कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो।
2. जिनके पास योग्यता/कार्य अनुभव के साथ सुसज्जीत नेत्र ऑपरेशन कक्ष एवं आवश्यक उपकरण एवं उपस्कर उपलब्ध हो।
3. जिनके पास प्रशिक्षिण कर्मी, Infrastructure, अंतः कक्ष, ऑपरेशन कक्ष और भर्ती किये गये मरीजों को प्रबंधन के लिए पर्याप्त Infrastructure की सुविधा उपलब्ध हो।
4. जो कार्यक्रम के अंतर्गत समय–समय पर सरकार के द्वारा निर्धारित मापदंड/दिशा निर्देश को भी मानने को तैयार हो।

<u>स्वंय सेवी संस्थाओं/ट्रस्ट हेतु योग्यता एवं कार्यानुभव :</u>

1. वैसी स्वंयसेवी संस्था/ट्रस्ट जो सरकार द्वारा निबंधित हो।
2. जिनके पास नेत्र विशेषज्ञ हों जिन्हें एम0डी0/एम0एस0 (नेत्र)/डी0ओ0 की योग्यता प्राप्त हो।
3. जिन्हें मोतियाबिन्द ऑपरेशन कराने का न्यूनतम तीन वर्षों का कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो।
4. जिनके पास प्रशिक्षित कर्मी, Infrastructure, अंतः कक्ष, ऑपरेशन कक्ष और भर्ती किये गये मरीजों को प्रबंधन के लिए पर्याप्त Infrastructure की सुविधा उपलब्ध हो।
5. जो कार्यक्रम के अंतर्गत समय–समय पर सरकार के द्वारा निर्धारित मापदंड/दिशा निर्देश को भी मानने को तैयार हो।

<u>इकाई राशि</u> :

अगर मोतियाबिन्द ऑपरेशन सरकारी संस्थानों में यथा सदर अस्पताल/अन्य सरकारी अस्पताल में किये जाते हैं तो 600/– रुपए मात्र प्रति मोतियाबिन्द ऑपरेशन की दर से अनुदान की राशि का भुगतान किया जाएगा एवं अपना Private अस्पताल में करने पर 1000/– रुपए मात्र प्रति मोतियाबिन्द ऑपरेशन की दर से अनुदान की राशि का भुगतान किया जाएगा

उक्त आहर्त्ता रखने वाले नेत्र विशेषज्ञ या स्वंयसेवी संस्था/ट्रस्ट से चिकित्सकों एवं कर्मीयों के योग्यता प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र एवं स्वंयसेवी संस्था/ट्रस्ट का प्रमाण पत्र एवं वॉयलॉज को आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

सिविल सर्जन–~~सह–सदस्य~~ सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा
12/1/18

12/1/18